UPMO010026792026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-**1,** मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अंजना)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06138**

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–793 / 2026</u>

अनिल कुमार आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र मोहन सिंह, निवासी शेरपुर बहलीन, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद

.....अभियोजक।

मु0अ0सं0–04 / 2026
धारा–109(1),3(5) बी.एन.एस.
थाना–कांठ, जिला मुरादाबाद।

<u>25.03.2026</u>

1–प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–04 / 2026, धारा–109(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना कांठ, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है।

2– संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम मुजफफरपुर टांडा, थाना व तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद के निवासी हैं। प्रार्थीगण दो भाई एक बहन है। प्रार्थीगण के पापा हरिओम प्रार्थीगण के छोटे भाई हरित कुमार के अलग मकान में रहते है तथा मां श्रीमती पुष्पा देवी मेरे साथ में अलग मकान में रहती हैं। प्रार्थीगण की माता के नाम लगभग 30 बीघा जमीन है, जिसके बटवारे को लेकर दोनों पति–पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते प्रार्थीगण के पिता उनकी माता से रंजिश रखते हैं। आज दिनांक 07 / 01 / 2026 को सुबह समय 5:45 मिनट पर घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी दो अज्ञात व्यक्ति प्रार्थीगण के पिता हरिओम पुत्र हरपाल सिंह के पास आये और उन्होंने प्रार्थीगण की मां पुष्पा देवी के सीने में तमंचा सटा कर जान से मारने की नियत से गोली मार दी और तीनों व्यक्ति मौके से फरार हो गये तथा पुष्पा देवी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली के आवाज सुनकर धर्मेन्द्र घर से बाहर आया और अपनी मां को निजि वाहन से कॉसमॉस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अतः उक्त के आधार पर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की

Digitally signed by ANJANA
Date: 2026.03.25 17:21:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी है।

3— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि आवेदक एक सभ्य नागरिक है जिसका किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे वर्तमान प्रकरण अर्थात् उपरोक्त मुकदमें में मिथ्या एवं दुर्भावनापूर्ण ढंग से सांजिशन फंसाया जा रहा है, आवेदक को आंशका है कि थाना कांठ जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत एफ.आई.आर. दिनांकित 07.01.2026 को आधार पर थाना कांठ पुलिस द्वारा गिरफतार किया जा सकता है, अतः यह अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र है प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र अथवा नियमित जमानत प्रार्थना—पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही खारिज हुआ है। अपराध संख्या 04/2026 धारा 109(1), 3(5) बी.एन.एस. थाना कांठ में प्रार्थी नामजद नहीं है। सम्बन्धित थाना कांठ से वांछित आख्या मंगाये जाने पर प्रार्थी को मालूम हुआ है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में वांछित है। वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी तहरीर तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। वादीगण मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार तथा हरित कुमार के ब्यान अंतर्गत धारा—108 बी.एन.एस. में प्रार्थी का नाम नहीं लिया गया है। उक्त वाद की चुटैल श्रीमती पुष्पा द्वारा भी प्रार्थी का नाम अपने बयानों में नहीं लिया गया है। उक्त वाद के नामजद अभियुक्त के द्वारा प्रार्थी का नाम सहयोगी के रूप में लिया गया है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अभियोजन के अनुसार गोली सटाके मारना बताया जाता है जबकि मौके से बुलेट का खोल बरामद न होकर फर्द बरामदगी बुलेट के अनुसार साबुत बुलेट मिली है। बुलेट का आगे का हिस्सा टिप ऑफ़ बुलेट (एक्सप्लोसिन) सुरक्षित है जोकि घटना को संदेहजनक बनाती है। अभियोजन के अनुसार घायल को लगी चोट जानलेवा प्रकृति की नहीं है, न ही कोई अंग क्षतिग्रस्त हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि चोटे ऐसी नहीं है जिनसे मृत्यु होना स्वभाविक हो या संभावित हो। स्थापित सिद्धांत है कि केवल चोट लगना ही धारा 109 (1) बी.एन.एस. स्वतः सिद्ध नहीं करता जबतक कि हत्या का स्पष्ट आशय एवं परिस्थितियाँ प्रमाणित ना हो। घटना के संबंध में उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेख के अनुसार चोट (सिंपल इन नेचर) पायी गयी है तथा एक्स—रे रिपोर्ट के कोई गंभीर अतिरिक्त क्षति परिलक्षित नहीं हुई है। इस से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या अतिरंजित एवं मनगढंत है। घटना स्थल से थाने की दूरी 4 किलोमीटर है इसके बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 घंटे के विलम्ब से दर्ज करायी गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना स्थल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 4 किलोमीटर है लेकिन चुटैल को वहां नहीं ले जाकर 30 किलोमीटर दूर हास्पिटल कासमास स्वयं ले जाया गया है जोकि अभियोजन कहानी को संदेहजनक बनाती है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी ने किसी अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर साझा आशय से अपराध किया हो। उपरोक्त मुकदमें में सहअभियुक्त हरिओम की जमानत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय कक्ष. सं. 1 के द्वारा दिनांक—16.02.2026 को स्वीकृत किया जा चुका है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहयोग करने को तत्पर है तथा उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त नाम व पते का स्थायी

निवासी है। प्रार्थी की चल व अचल सम्पत्ति है इसलिए फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी किसी वाद में सजायाफता नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत हेतु वांछित शर्तों का अनुपालन करने हेतु तत्पर रहने का कथन करते हुए उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4— अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त ने अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों व कथनों पर आधारित प्रस्तुत किया है, जो प्रत्येक दशा में निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपराध की प्रकृति गंभीर है। जांच प्रारंभिक अवस्था में है तथा अभियुक्त का जमानत पर रिहा होना अभियोजन के हितों को गंभीर क्षति पहुंचाएगा। अतः उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा केस डायरी पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6— प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की माता के ऊपर तमंचे से जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर उपहति कारित की। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसे झूठा रंजिशन फंसाये जाने का कथन किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि ''आज दिनांक 07/01/2026 को सुबह समय 5:45 मिनट पर घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी दो अज्ञात व्यक्ति प्रार्थीगण के पिता हरिओम पुत्र हरपाल सिंह के पास आये और उन्होंने प्रार्थीगण की मां पुष्पा देवी के सीने में तमंचा सटा कर जान से मारने की नियत से गोली मार दी और तीनों व्यक्ति मौके से फरार हो गये तथा पुष्पा देवी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी।'' केस डायरी पर उपलब्ध चोटहिल के बयानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया है कि ''मेरे पति के साथ उनका दोस्त, जो रिश्ते में मेरा ममेरा भाई लगता है, उसी ने मेरे ऊपर गोली चलायी थी। गोली लगने के बाद मैं काफी घबरा गयी थी। कई दिन अस्पताल में भर्ती रही थी। अब मेरी हालत में सुधार है, जो बात मैंने आपको बतायी, यही बात सत्य है। मेरे पति के साथ अनिल कुमार पुत्र मोहन सिंह, निवासी–शेरपुर बहलीन, थाना–ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद था''। इस प्रकार केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि चोटहिल द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली मारने की भूमिका प्रार्थी/अभियुक्त की होनी बतायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध चोटहिल श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी हरिओम की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या, जो कॉसमॉस हॉस्पिटल मुरादाबाद की है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त में चोटहिल के सीने के किये गये एक्स–रे में "The chest x-ray simulates no obvious abnormality" उल्लिखित किया गया है तथा पेट संबंधी एक्स–रे में "As per finding of general Surgeon wound present at upper part of chest below the sternoclavicular joint wound going towards right side deep into intercostal muscle (more towards right side, mild blackening present around the wound." उल्लिखित किया गया है। सह–अभियुक्त हरिओम का नियमित जमानत आवेदन, उसकी अपराध में गोली मारने की भूमिका न होने के तथ्य को दृष्टिगत

रखते हुए पूर्व में स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 25–03–2026

(अंजना)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6138)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।